Volume: 2 Issue: 2 Pages: 33-34

जाति संहार का स्वरूप एवं उसकी प्रकृति

[*1] डॉ. राजबहादुर कुशवाहा

[*1] राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 5.231
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 25/Jan/2023
Accepted: 22/Feb/2023

***Corresponding Author**
डॉ. राजबहादुर कुशवाहा
राजनीति विज्ञान विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश:
जेनोसाइड एक जातीय, प्रजातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक मानव समूह के पूर्ण या आंशिक संहार के लिये किया गया सामूहिक नरसंहार है। जाति संहार के कई प्रकार हैं जैसे-अपने प्रतिद्वंदी के खतरे को पूरी तरह से मिटाने के लिये किया गया तथा दूसरा संपदा पर कब्जे के लिये किया गया तीसरा आतंक फैलाने के लिये किया गया एवं चैथा धार्मिक या राजनीतिक विश्वास पैदा करने के लिये किया गया जाति संहार।

वस्तुतः विचारकों द्वारा माना जाता है कि बहुलवादी समाजों में जातिसंहार अपरिहार्य रूप से उपस्थित होता है। एक अन्य प्रकार का जाति संहार भी विभिन्न परिस्थितियों में देखा गया है जहाँ महिलाओं को बंदी बनाकर व्यवस्थित बलात्कार किया जाता है और उन्हें तब तक बंदी रखा जाता है। जब तक वह गर्भवती न हो जाये ताकि नस्लीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक बदलाव किया जा सके और अपने जैसे समान समूह के लोगों की संख्या बढ़ाई जा सके।

संयुक्त राष्ट्र में अनेक प्रकार के उपायों तथा अभिसमय बनाकर जाति संहार के रोकथाम के उपाय किये गये हैं। वर्तमान में जाति संहार को मानवता के विरुद्ध अपराधों में गिना जाता है। 1948 के अभिसमय में न केवल प्रत्यक्ष हत्या वरन् जातिसंहार का षडयंत्र या दूसरों की प्रेरणा भी व्यक्तिगत रूप से दण्डनीय है। चाहे वह संवैधानिक शासकों द्वारा किया गया हो या सरकारी तंत्र के सदस्यों द्वारा या साधारण व्यक्तियों द्वारा।

मुख्य शब्दः मानव, जाति, संहार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हिंसा, संविधान

प्रस्तावना:

''मनुष्य अकेला जन्तु (Primate) है जो अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को मारता और यातना देता है।'

-(एरिक फ्रॉम)

संभवतः मानव सभ्यताओं के प्रारम्भ से ही यदाकदा घटित जाति-संहार, समकालीन विश्व में गंभीरतम अपराध (Ultimate Crime) और मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन माना जाता है। पहले-पहल जातिहत्या (Genocide) शब्द का प्रयोग पॉलिश न्यायशास्त्री राफेल लेमकिन (Raphael Lemkin) ने 1944 में अपनी 'कृति एक्सिस रूल इन ऑकुपाइड यूरोप' में किया था।

जेनोसाइड, ग्रीक शब्द Genos (race या जाति) तथा लैटिन शब्द Cide (Killing या हत्या) का मेल है। यह एक जातीय (racial) पजातीय (ethnic) सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक मानव समूह के पूर्ण या आंशिक सफाए के लिए किया गया सामूहिक नरसंहार है। कुछ अध्येता राजनीतिक जनसंहार को (Genocide) से अलग करते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक विचार को मानने वालों में अनेकों प्रजाति के लोग हो सकते हैं। तथापि यदि राजनीतिक वैचारिक आधार पर एक मानव समूह (Genos) बन कर संगठित हो तो, उसका सफाया भी (Genocide) की ही श्रेणी में आयेगा।

अध्येताओं ने इतिहास में चार तरह की प्रकृति व उद्देश्यों, के लिए जाति संहार की घटनाएं लक्षित की है। पहला-प्रतिद्वंद्वी के खतरे को समूल मिटाने के लिए। ऐसे जातिसंहार इतिहास में सबसे पुराने है और नाजी जाति संहारों तक फैले हैं और सबसे ज्यादा घटित हैं। जाति संहार संपदा पर कब्जे के लिए किए गये हैं। उपनिवेशवादी कार्यवाइयां इसके उदाहरण है। तीसरे-आतंक सृष्टि के लिए किए गए जाति संहार हैं, जिनमें चंगेज खान जैसे आक्रान्ताओं के कृत्य आते हैं। चैथे प्रकार के जाति संहार एक विचारधारा या विश्वास की जबरन स्थापना के लिए हुई है चाहे वह धार्मिक विश्वास हो या राजनीतिक। मध्यकाल के धार्मिक आक्रमण एवं चीन जैसे साम्यवादी देशों में विरोधियों के सफाए को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

नाजी जर्मनी में 50 से 60 लाख यहूदियों का जातिसंहार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में तुर्कों द्वारा जातीय व राजनीतिक कारणों से 8

आख आर्मेनियनों का संहार, 1975-78 में खमेर रूज शासन के दौरान करीब 20 लाख राजनीतिक विरोधियों का सफाया और 1994 में खांडा में कहुतू प्रजाति द्वारा तुत्सी जनजाति के लाखों लोगों का नरसंहार, जातिसंहार के कुछ कलंकपूर्ण अध्यायों में से है। प्रायः ये सभी जातिसंहारों से, शिशुवध, बलात्कार व मानवता के प्रति अन्य गंभीर अपराध भी जुड़े है।

विद्वानों ने जाति संहार के पीछे के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक-वैचारिक कारकों को निम्नलिखित प्रकार से देखा है-

मानव प्रकृति पर आधारित-gkWCl एवं एरिक ÝkWe जैसे विचारकों ने मानव की स्वार्थी, आक्रामक एवं क्रूर प्रकृति को जातिसंहारों का मूल माना है। हाब्स के अनुसार अपनी मूल अवस्था (State of Nature) में मानव 'सबके विरु; सबके संघर्ष' की अवस्था में रहता है। ykWjsUt ने मानव प्रकृति की जैव सामाजिक (Socio-biological) रूपरेखा देतेहुए मानव को एक ध्वंसात्मक जीव कहा है। तथापि मानव प्रकृति के ये प्रतिपादन एकपक्षीय हैं। मानव प्रकृति, जैसा कि रूपों ने बताया है, मूल रूप में दुष्ट नहीं है, यद्यपि समुदाय में मानव काफी ध्वंसात्मक हो सकता हे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए रेनहोल्ड नीबुर (Reinhold Niebuhr) का तर्क है कि स्वभावतः मनुष्य भला (Decent) है, किन्तु समूह व समुदाय (Group or Collectives) स्वार्थी है। उसने नाजी संगठन S.S. के क्रूर कृत्यों का उदाहरण देते हुए बताया है, कि व्यक्तिगत तौर पर औसत युवा S.S. के सदस्य के रूप में, संगठन की जनसंहारी प्रकृति के अनुरूप खुशी से जाति संहार में भाग लेते थे।

जाति संहार का संरचनागत (Structural) सिद्धांत-वेबर को सामाजिक चिंतन परम्परा के अनुयायी जाति संहार को बहुलवाद एवं उसके प्रसंग में राजनीतिक हिंसा के रूप में देखते हैं। इस परम्परा की तीन मान्यताएं हैं-

1. आधुनिक राज्य बुद्धिपरक नौकरशाही के रूप में संगठित है और हिंसा के साधनों पर उसका एकाधिकार है।
2. समाज मे विभिन्न समूह सीमित संसाधनों पर कब्जे के लिए संघर्षरत होते हैं।
3. फलतः प्रमुखशाली समूह, हिंसा के संगठित साधनों पर कब्जा करके प्रतिद्वंदी समूह का दमन करते है।

लिओ कूपर इस संरचनागत अथवा संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) का प्रबल समर्थक है। उसके अनुसार एक बहुलवादी राष्ट्र जातिसंहार की पूर्णशर्त है। बहुत समाजों में राजनीतिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में असमानताएँ मौजूद होती है। समूह, सीमित संसाधनों एवं शक्ति के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष करते हैं। एक बहुत (Pluralistic) समाज असमानताओं के वृहत् आच्छादन (Super imposition) से पहचाना जाता है। ऐसे समाज में अंतर्विरोध व सांस्कृतिक संघर्ष अनिवार्य बन जाते हैं। कपूर क अनुसार 'बहुल समाजों में जाति संहार अपरिहार्य (Inevitable) है।' राज्य न केवल राष्ट्र राज्य व्यवस्था द्वारा जातिसहार की संभावना का संरक्षण करता है, बल्कि कई बार राज्य जाति संहार करता भी है। 1985-1987 के श्री लंका में बहुसंख्यक सिंहलों द्वारा तामिल जातिसंहार को इसी परिपे्रक्ष्य में देखा जाता है।

यह सिद्धांत विविध सांस्कृतिक समूहों के सहअस्तित्व को नकारने की वजह से बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई को भी नकाराता है। यद्यपि खांडा, बुरूण्डी, कश्मीर के जाति संहार बहुत समाजों में घटित हुए हैं तथापि अनेक सांस्कृतिक समूह इतिहास में, मिल जुल कर रह पाएं हैं एवं सभ्यता की गति की आगे बढ़ाया है। अमेरिका या पूर्व सोवितच संघ के सशक्त राष्ट्र राज्य बहुलवादी समाज रहे हैं। माक्र्सवादी सिद्धांत-जीन पॉर्ल सात्रे ने जातिसंहार का मूल उपनिवेशवाद में बताते हुए कहा है कि यह पूंजीवाद की प्रकृति में निहित है। परन्तु इसके लिए प्रयुक्त सात्रे के उदाहरण शारीरिक जाति संहार के बहुत कम है, वे मुख्यतः सांस्कृतिक जाति संहार के हैं।

नारीवादी सिद्धांत-कैथरीन मैकिन्नोन ने जाति संहार को भी नारी पराधीनता का यंत्र माना है। बोस्निया के जातिसंहार में सर्वो ने व्यवस्थित बलात्कार के जरिए मुस्लिम बोस्नियायी महिलाओं को गर्भवती किया था और गर्भपात की अवधि बीत जाने तक बंदी रखा था, ताकि उनसे पैदा संतानों से बोस्निया एक सर्व क्षेत्र बन सके।

जाति संहार के बारे में सैद्धान्तिक विवेचन से स्पष्ट है कि ये प्रत्येक सिद्धांत, जातिसंहार का आधार प्रस्तुत करने में पूर्ण सक्षम नहीं है, यद्यपि सभी में आंशिक सच्चाई मौजूद है।

जाति संहार के तीन बिन्दुओं पर मतैक्य है जिसे निष्कर्ष भी माना जा सकता है-

1. जाति संहार व्यापक हिंसा (Mass violence) के अनेक रूपों में घटित होता है जिनमें से कुछ रूप राजनीतिक हैं तथापि मुख्य रूप से यह वैचारिक (सोच) है।
2. जाति संहार के पीछे की सोच अपना विरोधी समूह लक्षित करती है-जातीय, प्रजातीय, भाषायी या धार्मिक कारक इस लक्ष्य के आधार होते हैं फिर उस लक्षित समूह विशेष का संहार करना चाहती है।
3. जाति संहार, आधुनिक व तर्कबुद्धि से असंगत प्रतीत होता हतै, लेकिन जाति संहार के पीछे की परिस्थितिया आधुनिकता के भीतर ही मौजूद पायी गयी है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास-संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में 'जातिसंहार प्रतिषेध एवं दण्ड अभिसमय (Convention) अंगीकृत किया था, आज जिसे 133 देश पक्षकार हैं। इसमें जाति संहार को अंतर्राष्ट्रीयश् विधि के अनुसार अपराध घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सविधि में जाति संहार मानवता के विरुद्ध अपराधों में गिना गया है। 1948 अभिसमय में न केवल प्रत्यक्ष हत्या वरन् जातिसंहार का षड्यं या दूसरों की पे्ररणा भी व्यक्तिगत रूप से दण्डनीय है चाहे वह संवैधानिक शासकों द्वारा किया गया हो, या सरकारी तंत्र के सदस्यों द्वारा या साधारण व्यक्तियों द्वारा हालांकि इस अभिसमय के बाद से कम्बोडिया, खांडा और अन्य अनेक जातिसंहार घट चुके है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था केवल मूकदर्शक नहीं है। 1998 में खांडा के तुत्सी जातिसंहार के लिए गठित ट्रिब्यूनल ने अनेक व्यक्तियों को सजा दी जिसमें खांडा के पूर्व प्रधानमंत्री जीन कामबांदा को आजीवन कारावास भी शामिल है।

संदर्भ सूची:

1. कोठारी, रजनी-कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, ओरियंट लॉगमन, नई दिल्ली, 1970, पृ.सं.225
2. श्रीनिवास, एम.एन.-कास्ट इन मार्डन इण्डिया एण्ड अदर एसेसे, एशिया प्रकाशन, बम्बई, 1962
3. नारंग, अमरजीत एस.,-जातिवाद मुक्त भारत की ओर, योजना, अक्टूबर, 2017.
4. प्रसाद, आर.वी.-जीवन संघर्ष, इंजीनियर पे्रस दिल्ली, 1959
5. बेतेई, आन्द्रे-कास्ट, क्लास एण्ड पावर, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया पे्रस, बर्कले, 1965
6. महतो, महेन्द्र कुमार-जाति एवं सामाजिक असमानता, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह रिसर्च सोसायटी, सोमनाथ निकेतन, शुंभकरपुर, दरभंगा, 1996
7. वर्मा, रवीन्द्र कुमार-राजनीतिक नेतृत्व, बिहारी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2013.
8. शाह, घनश्याम-भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2009.
9. श्रीकांत, बिहारी में चुनाव, जाति, हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005.
10. सईद, एस.एम., भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 2001.